न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/01/2018	2018/00005	03.01.2018	30.05.2024

1. हरीबाबू बन्सल पुत्र श्री मेघराज बन्सल, निवासी ग्राम नोगांवा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज0।
2. जोरे खां पुत्र श्री चन्दर खां जाति फकीर, निवासी ग्राम रसगण तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

—रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.2017 तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर अन्तर्गत प्रकरण संख्या 409/13

उपस्थितः—

01. श्री जगदीश चन्द सतीजा —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हलका द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार रेसपोडेण्ट के यहां दिनांक 03.09.2013 को प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि अपीलाण्टान के द्वारा खसरा नम्बर 158 रकबा 0.04 हेक्टेयर गैरमुमकिन टीला वाकै ग्राम मोहम्मदपुर तहसील रामगढ जिला अलवर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, इस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब अपीलाण्टान द्वारा प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात अपीलाण्टान को यह बताया गया कि इस समय चुनाव चल रहे है आपको आगामी तारीख पेशी से अवगत करवा दिया जायेगा। किन्तु कोई नोटिस मिन अपीलाण्टान को सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी बाबत प्राप्त नही हुआ, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके पर खिलाफ कानून अपीलाण्टान को दिनांक 17.10.2017 को खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व बिना सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय रूप से अपीलाण्टान को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.2017 के विरूद्ध पेश की जा रही है जिसकी जानकारी अपीलाण्टान को पूर्व में नहीं थी, अपलाण्टान को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.01.2018 को पटवारी हलका से हुई, जिस पर अपीलाण्टान द्वारा दिनांक 01.01.2018 को ही नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया जो नकल दिनांक 02.01.2018 को तैयार होकर प्राप्त हुई, इसलिए जो देरी की अवधि दिनांक 17.10.2017 से दिनांक 02.01.2018 तक की व्यतीत हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है तथा नकल हेतु आवेदन करने व नकल प्राप्त होने की अवधि को समायोजित करने के पश्चात अपील नेकनीयती व सदभावना से अन्दर अवधि पेश है। इसलिए देरी की अवधि को माफ किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार किये जाने योग्य है। देरी की अवधि माफ कराने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत तथा बिना अपीलाण्टान को सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना अपीलाण्टान को तलब किये व बिना मौका की जांच किये पारित किया गया है आलोच्य आदेश जिस मैनर आफ एप्रोच से पारित किया गया है वह आदेश की परिधि में नहीं आता है, इसलिए आलोच्य आदेश इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस अपीलाण्टान को अतिक्रमण की बाबत जारी किया गया है वह खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह तथ्य बखूबी साबित था कि आराजी खसरा नम्बर 158 रकबा 0.04 हेक्टेयर वाकै ग्राम मोहम्मदपुर तहसील रामगढ जिला अलवर को सिराज पुत्र श्री गफूर खान जाति मेव को कब्जा के आधार पर गेंत, बाडा हेतु आवंटित की गई थी, किन्तु उक्त सिराज पुत्र गफूर खान ने उक्त आराजी को विक्रय कर कब्जा अपीलाण्ट संख्या–1 हरीबाबू की पत्नी श्रीमती स्वतन्त्रलता बन्सल को दे दिया, इस सम्बन्ध में सिराज पुत्र श्री गफूर खा द्वारा एक अनुबन्ध भी दिनांक 24.07.2013 को अपीलाण्ट संख्या–1 हरीबाबू की पत्नी श्रीमती स्वतन्त्रलता बन्सल के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जिस भूमि को आज भी अपीलाण्ट संख्या–1 व उसकी पत्नी श्रीमती स्वतन्त्रलता द्वारा ही काम में लिया जा रहा है जो बाडा कच्चा होने के कारण बरसात में गिर गया था. जिसकी मरम्मत कराई जाकर टीन शेड आदि लगा दी गई थी। इसलिए अपीलाण्टान द्वारा कोई नाजायज निर्माण कर किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि अपीलाण्टान का आवंटी सिराज पुत्र गफूर खान जिसको इस भूमि का आंवटन किया गया था, उससे नेकनियती वो सदभावी तरीक पर खरीद की थी उसके फुट इन स्टेप्स के आधार पर कब्जा चला आ रहा है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को तो स्वीकार किया है कि उक्त भूमि सिराज पुत्र गफूर खां को आवंटित शुदा है, लेकिन इसके उपरान्त भी अपीलाण्टान को बेजा रूप से व खिलाफ कानून बेदखल करने का आदेश पारित किय गया है, जब अपीलाण्टान को आवंटी के द्वारा आवंटित शुदा आराजी पर कब्जा दिया तो अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाण्टान को बेदखल करना नितान्त विधि विरूद्ध व खिलाफ मौका है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह व्यक्त किया गया है कि सिराज पुत्र गफूर द्वारा उसको आवंटित शुदा भूमि का बेचान अपीलाण्ट संख्या–1 की पत्नी श्रीमती स्वतन्त्रलता बन्सल को नही किया गया है, जबकि पत्रावली पर तथाकथित इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिस इकरारनामा को सिराज पुत्र गफूर ने अपीलाण्ट संख्या–1 की पत्नी श्रीमती स्वतन्त्रलता बन्सल के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जो इकरारनामा आज तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है ना ही उक्त इकरारनामा को किसी प्रकार की चुनौती दी गई है। इसके अलावा आवंटी द्वारा इकरारनामा के विरूद्ध जवाबदेही करने का कोई काननी मायने नही था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने जवाब नोटिस के आधार पर यह गलत निष्कर्ष निकाल कर कि आवंटी द्वारा श्रीमती स्वतन्त्रलता को आराजी का विकय नही किया गया है, बेजा आदेश बेदखली हेतु पारित कर भारी कानूनी भूल की है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका की रिपोर्ट तलब की गई थी, वह बिना अपीलाण्टान की जानकारी के तथा बिना अपीलाण्टान को सुनवाई का अवसर दिये की गई है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को मौका की जाचं व अपीलाण्टान को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिये था, अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टान को सुनवाई का अवसर नही देकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो विधि की मंशा के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। आलोच्य आदेश आवंटितशुदा आराजी के सम्बन्ध में पारित किया गया है जो अधिनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा जो काबिल गौर श्रीमान है। ओर एतराजात वक्त बहस जुबानी निवेदन किये जायेगे। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय रामगढ़ का आदेश दिनांक 17.10.2017 को निरसत फरमाया जावें तथा अपीलान्टान को रेस्पोडेन्ट से खर्चा मुकदमा हरदो अदालत दिलाया जावें अन्य आज्ञा जो उचित जो अपीलान्टान के पक्ष में प्रदान करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अलवोकन किया। विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश का अवलोकन किया। जिसमें विवादित आराजी सिराज पुत्र गफूर मेव के नाम से गैत व पशु बाडे के लिए आवंटन की गयी थी। उक्त आवंटित आदेश में स्पष्ट निर्देश अंकित किये गये थे कि उक्त भूमि को विनिमय, रहन, दानपत्र, वसीयत आदि द्वारा स्थानांतरण के कोई अधिकार नहीं होंगे। राज्य सरकार बिना किसी मुआवजे की अदायगी के उक्त भूमि का पुनः अधिग्रहण कर सकेगी। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण करने की कोई अनुमति, कोई अधिकार नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय राज्य सरकार द्वारा आवंटन में दिये गये निर्देशों के अनुरूप है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 17.10.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर राजस्थान